



भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

प्रलम्ब के लिये:

[वित्तीय कार्रवाई कार्यबल \(FATF\)](#), [धन शोधन \(ML\)](#), [आतंकवादी वित्तपोषण \(TF\)](#), [G20](#), [जन धन, आधार, मोबाइल \(JAM\) ट्रिनिटी](#), [आतंकवाद](#), [गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सर्टि \(GIFT सर्टि\)](#), [प्रत्यक्ष विदेशी निवेश \(FDI\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत के लिये धन शोधन (ML), आतंकवादी वित्तपोषण (TF) की समस्या, चुनौतियाँ और संबंधित पहल

[स्रोत: लाइव मटि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वित्तीय कार्रवाई कार्यबल \(FATF\)](#) ने भारत पर एक [पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट \(Mutual Evaluation Report- MER\)](#) जारी की, जिसे सगिपुर में आयोजित उनके पूरण सत्र के दौरान अनुमोदित किया गया। इसमें विशेष रूप से [धन शोधन \(Money Laundering- ML\)](#), [आतंकवादी वित्तपोषण \(Terrorist Financing- TF\)](#) और प्रसार हेतु वित्तपोषण (Proliferation Financing) से निपटने में भारत के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया।

MER रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बढि क्या हैं?

- भारत पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट:
 - नयिमति अनुवर्ती श्रेणी:
 - भारत को 'नयिमति अनुवर्ती' (Regular Follow-Up) श्रेणी में रखा गया है जिससे यह एक ऐसे विशेष समूह में शामिल हो गया है जिसमें केवल चार देश- [यूनाइटेड किंगडम](#), [फ्रांस](#), [इटली](#) और [अन्य G20 देश](#) शामिल हैं।
 - 'नयिमति अनुवर्ती' का अर्थ है कि भारत को केवल अक्टूबर 2027 में अनुशंसित कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
 - FATF, सदस्य देशों को चार श्रेणियों में से किसी एक में रखता है अर्थात् 'नयिमति अनुवर्ती', 'वर्धित अनुवर्ती' (Enhanced Follow-Up), 'ग्रे लसिट' और 'ब्लैक लसिट'।
 - नयिमति अनुवर्ती उक्त 4 श्रेणियों में शीर्ष श्रेणी है और पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद भारत सहित [G20](#) में केवल 5 देशों को नयिमति अनुवर्ती में रखा गया है।
 - JAM ट्रिनिटी के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था:
 - [जन धन, आधार, मोबाइल \(JAM\) ट्रिनिटी](#) और नकद लेन-देन के कठोर वनियमों द्वारा भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है जिससे [ML](#), [TF](#) तथा [भ्रष्टाचार](#) एवं संगठित अपराध जैसे अपराधों से प्राप्त आय से जुड़े जोखिम सफलतापूर्वक कम हुआ है।

FATF क्या है?

- परिचय:
 - FATF वर्ष 1989 में स्थापित अंतर-सरकारी संगठन है।
 - यह मनी लॉन्ड्रिंग, [आतंकवादी वित्तपोषण](#) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिये एक वैश्विक मानक-निर्धारक है।
- उद्देश्य:
 - FATF का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करना तथा धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक वनिाश के हथियारों के प्रसार से निपटने हेतु उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- गठन:

- FATF का गठन **G7 देशों** की पहल पर **धन शोधन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव** के बारे में बढ़ती चिंताओं का समाधान करने के लिये किया गया था।
- प्रारंभ में यह मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये सफ़ाई करने और सर्वोत्तम अभ्यास विकसित करने पर केंद्रित था।
 - वगित कुछ वर्षों में, इसके कार्यक्षेत्र में वसतिार हुआ और इसमें आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम करने तथा नए उभरते खतरों से निपटना शामिल किया गया है।
- **ब्लैक लिस्ट:**
 - **ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT)** को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
 - अभी तक **ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार** तीन देश ब्लैक लिस्टेड हैं।
- **ग्रे लिस्ट:**
 - जनि देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, **उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल** दिया जाता है।
 - यह उस देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
- **FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक:**
 - FATF में वर्तमान में **37 सदस्य निकाय** हैं जो दुनिया के के लगभग सभी हिस्सों के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - **39 सदस्यों में से दो क्षेत्रीय संगठन हैं: यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद।**
- **भारत और FATF:**
 - भारत वर्ष 2006 में 'पर्यवेक्षक' देशों की सूची में शामिल हुआ और **वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया।**





वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)

परिचय

- * ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का निगरानीकर्ता

स्थापना:

- * जुलाई 1989, पेरिस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान

उद्देश्य:

- * मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का विरोध करना।

सदस्य:

- * 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपियन कमीशन व खाड़ी सहयोग परिषद)
- * **इंडोनेशिया एक पर्यवेक्षक देश है।**

मुख्यालय:

- * सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित

FATF की सूचियाँ:

- * **ग्रे लिस्ट:**
 - ◆ इसका मतलब है- "बढ़ी हुई निगरानी सूची"
 - ◆ इसमें आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माने जाने वाले देशों को शामिल किया जाता है।
 - ◆ संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
- * **ब्लैक लिस्ट:**
 - * असहयोगी देश या क्षेत्र (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) शामिल हैं ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
 - * देश-**ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार**

ग्रेलिस्ट होने के परिणाम:

- * FATF (IMF, World Bank, ADB) से संबद्ध वित्तीय संस्थानों से आर्थिक प्रतिबंध
- * वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- * अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- * अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार

भारत और FATF:

- * भारत वर्ष 2006 में एक पर्यवेक्षक देश बन गया।
- * भारत वर्ष 2010 में FATF का 34वाँ सदस्य बना।
- * भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरोपियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर MER रपिर्ट का महत्त्व क्या है?

- **वैश्विक वित्तीय प्रतिष्ठान में वृद्धि:**
 - FATF का सकारात्मक मूल्यांकन भारत की मज़बूत **वित्तीय प्रणाली** को दर्शाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ता है। यह **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक सर्टि (GIFT सर्टि)** जैसी पहलों को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है।
 - इस बेहतर प्रतिष्ठान से बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिल सकती है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में भारतीय संस्थाओं के लिये उधार लेने की लागत कम हो सकती है।
- **वदेशी निवेश में वृद्धि:**

- एक भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली अधिक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment - FDI)** को आकर्षित करने की संभावना रखती है। **फनिटेक और ई-कॉमर्स** जैसे क्षेत्रों में, जहाँ वित्तीय अखंडता महत्वपूर्ण है, अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने पहले ही भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है।
- **डिजिटल भुगतान प्रणाली का वसितार:**
 - रिपोर्ट का समर्थन भारत के **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI)** के वैश्विक वसितार का समर्थन करता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में UPI की व्यापक स्वीकृति हो सकती है क्योंकि **UPI पहले से ही संगापुर और UAE जैसे देशों में चालू है इसे और देशों में वसितारित करने की योजना है।**
- **भारत के फनिटेक उद्योग को बढ़ावा:**
 - सकारात्मक मूल्यांकन से भारत के फनिटेक क्षेत्र के विकास में तेज़ी आ सकती है। **पेटीएम और फोनपे** जैसी फनिटेक कंपनियों के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वसितार करना आसान हो सकता है। **यह अधिक उद्यम पूंजी को आकर्षित कर सकता है और ब्लॉकचेन तथा डिजिटल मुद्राओं जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है।**
- **संवर्द्धित धन प्रेषण प्रवाह:**
 - बेहतर वित्तीय प्रणालियों के साथ, **अनविासी भारतीयों (NRI)** से प्राप्त धन अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो सकता है। धन प्रेषण की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, जो **भारत के विदेशी मुद्रा में** महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण क्या है?

- **धन शोधन (Money Laundering):**
 - धन शोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छपाना या प्रच्छन्न करना शामिल है, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वह वैध स्रोतों से आया है।
 - यह अक्सर अन्य, अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली का एक घटक होता है। **IMF के अनुसार**, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग का अनुमान वैश्विक **GDP** के 2 से 5% के बीच है।
- **आतंकवाद वित्तपोषण (TF):**
 - **आतंकवाद का वित्तपोषण** आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य है, ताकि वे आतंकवादी कार्य कर सकें या किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन को लाभ पहुँचा सकें।
 - **यद्यपि धन आपराधिक गतिविधियों से आ सकता है, लेकिन यह वैध स्रोतों से भी प्राप्त हो सकता है**, उदाहरण के लिये वेतन, वैध व्यवसाय से प्राप्त राजस्व या गैर-लाभकारी संगठनों सहित दान के माध्यम से।
 - आतंकवाद के वित्तपोषण में सामान्यतः तीन चरण होते हैं: **धन जुटाना, धन का स्थानांतरण और उसका उपयोग करना।**

Money laundering stages



Accumulating the money from illegal activities.

Placing the money into a financial system.

Transferring the money to hide the origin of the funds.

Returning the money for the money launder to spend.

भारत के लिये FATF की चर्चा और सुझाव क्या हैं?

चर्चा	सुझाव
<ul style="list-style-type: none"> ■ गैर-वित्तीय क्षेत्रों की भेद्यता: गैर-वित्तीय क्षेत्र कमज़ोर नगिरानी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, भारत में रयिल एस्टेट क्षेत्र, जैसे अवैध वित्तीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मज़बूत करना: उच्च मूल्य वाली संपत्ति के लेन-देन के लिये मज़बूत परामर्श प्रक्रियाओं या गैर-वित्तीय क्षेत्रों में संदग्ध गतिविधियों हेतु बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता है। ■ अधिक प्रभावी जाँच हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय खुफिया जानकारी का विश्लेषण और प्रसार करने के लिये भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।
<ul style="list-style-type: none"> ■ लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ: यह AML/CFT (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला) प्रयासों की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकता है और संभावित रूप से अपराधियों को न्याय से बचने का मौका दे सकता है। उदाहरण के लिये, देश से भाग चुके हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों में अभियोजन तथा संपत्ति की वसूली में काफी देरी का सामना करना पड़ा है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ML और TF अभियोगों में देरी को संबोधित करना: इसके लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न्यायिक सुधार, वित्तीय अपराध मामलों में कानून प्रवर्तन तथा न्यायिक अधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण एवं न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग शामिल हो सकता है।
<ul style="list-style-type: none"> ■ आभासी परसंपत्ति जोखिम और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध: आभासी परसंपत्तियों (करपिटोकरेंसी) का बढ़ता उपयोग AML/CFT व्यवस्थाओं के लिये नई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। ■ अप्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के प्रयासों में बाधा डालता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ आभासी परसंपत्ति जोखिमों के वरिद्ध उपायों को सुदृढ़ बनाना: भारत को आभासी परसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिये अधिक व्यापक वनियमन और पर्यवेक्षण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण हेतु उनके दुरुपयोग को रोका जा सके। ■ भारत को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध या सीमा पार धन शोधन योजनाओं से जुड़े मामलों में अन्य देशों के साथ सूचना साझा करने और सहयोग करने के लिये अपने तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।

दृष्टिभेद प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में FATF पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट ने भारत द्वारा अपने धन शोधन वरिधी और आतंकवाद वरिधी वित्तपोषण व्यवस्था में किये गए कई सुधारों को रेखांकित किया है। रिपोर्ट में कनि प्रमुख चर्चाओं को उठाया गया है तथा इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने हेतु भारत को कनि उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

मेन्स:

प्रश्न. चर्चा कीजिये ककिस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को वस्तितार से समझाइये। (2021)